राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(86अ)एफसीए/मुवस/2022 दिनांकः–

कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला अजमेर में प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Water/33714/2018 के लिए Diversion of 7.0484 ha.(Ajmer 4.6723 ha.) forest land for Flouride Control Project for remaining Villages of Tehsil Beawar District Ajmer, Rajasthan. FP/RJ/Water/33714/2018 के निर्माण हेतु 7.0484 है. (अजमेर 4.6723 है.) वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8बी/राज/08/20/2021–एफसी दिनांक 06.06.2022 द्वारा जारी की गई थी। वन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 07.01.2022 द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट्स में भारत सरकार से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में मुख्य वन संरक्षक को कार्यानुमति जारी करने के लिए अधिकृत किया है। उक्त स्वीकृति की पालना में उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ14()एफसीए/उपसं/2022–23/11883 दिनांक 22.12.2022 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु आवश्यक राशि, जिला कल्केटर द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जमा करा दिया है, तथा पत्रांक 11886 दिनांक 22.12.2022 द्वारा प्रमाणित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का उल्लघंन नहीं किया गया है। साथ ही अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए द्वारा उक्त पालना रिपोर्ट पत्रांक 4714 दिनांक 02.02.2023 द्वारा शासन सचिवालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 11–306/2014–एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्यधीन प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लघंन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

Sd/–

(विजय एन.)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

क्रमांक एफ 11(86 अ)एफसीए/मुवस/2022 393 दिनांकः– 8/2/2023

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110001
2. उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ए 218 & बी 216 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

Carry forward.....

3. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), अरण्य भवन, जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., अरण्य भवन, जयपुर।
6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT) जयुपर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) उदयपुर को सूचनार्थ।
8. उप वन संरक्षक, अजमेर को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
9. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना वृत्त, अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

(विजय एन.)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।